



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1722 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 1722

विषय / Sub : नाइट्राइल बेस रबड़ काम्पाउंड बी पी - 22
Nitrile Base Rubber Compound BP – 22

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स बी.पी इंजीनियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड, जी-6, मुरली भवन, 10-ए, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001 द्वारा विकसित तथा उत्पादित " नाइट्राइल बेस रबड़ काम्पाउंड बी पी - 22", को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए - 1722, दिनांक 18 जून 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1722 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

This is to state that the "Nitrile Base Rubber Compound BP – 22", developed and manufactured by M/s B. P. Engineers (Pvt.) Ltd., G-6, Murli Bhawan, 10-A, Ashok Marg, Lucknow – 226 001 was issued with Type Approval Number: 1722 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1722, dated: 18th June 2012 and with its validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जुलाई 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st July 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, Lucknow - 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1722, दिनांक 18 जून 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA -1722, dated: 18th June 2012 is amended as stated herewith.

“अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बंगलूर - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru-560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.


4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।


All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA - 1722/1R

दिनांक / Date : 15th Sept 2017

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856




(गंतायत गौड़ वै. 'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg. Chief Executive (Airworthiness)